08.07.25

वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से वकील श्री निशानसिंह द्वारा वकालतनामा व इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा अपनी भूमि में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता को स्वीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं० 1 इकबाल जवाब प्रा० पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिया सोनी)
RAS

(रविन्द्र कुमार)

अ० Advocate

I.J.
by